

(74)


न्यायालय श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, म0प्र0

R 4199-PBZP

छोगालाल पिता किशनजी गवली फौत वारिसान:-

1. नारायण पिता छोगालाल जाति गवली आयु 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश पिता छोगालाल जाति गवली आयु 45 वर्ष
3. जितेन्द्र पिता छोगालाल जाति गवली, आयु 35 वर्ष

सभी का धन्धा—खेती, निवासीयान—ग्राम मंडव
तह. व जिला धार म0प्र0



.....निगरानीकर्ता

बनाम

गंगाराम पिता किशन जाति गवली आयु 85 वर्ष

धन्धा—कुछ नहीं, निवासी—म0नं0 66 जवरन कालोनी,

इंदौर म0प्र0

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 अनुसार

“ यह निगरानी विद्वानअधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय
तहसील टप्पा नालछा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 30 / 3 - 27 / 2013 - 14

गंगाराम बनाम ओमप्रकाश आदि में पारित आदेश दिनांक 03 / 05 / 2016 से
असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । ”

AKL

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

क्रमांक निगरानी 4199—पीबीआर / 16

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	जिला धार प्रशंसकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 3-5-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिका में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कि आवेदकगण का व्यथित होना परिलक्षित होता हो। केवल ग्राम पटवारी से फर्द तलब करने हेतु स्मरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>	